मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3554
10.08.2026 को उत्तर के लिए

पादप संरक्षण और निगरानी

3554. श्री अजेन्द्र सिंह लोधी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विभिन्न राज्यों में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान के बावजूद, पेड़ काटने और पादपों का भलीभांति संरक्षण न होने के कारण वनक्षेत्र में अपेक्षा के अनुरूप वृद्धि नहीं हो पा रही है;
(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों में पूरे देश में रोपे गए पादपों की उत्तरजीविता दर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का वृक्षारोपण अभियानों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए पादप संरक्षण और निगरानी के साथ-साथ पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए कोई नई कार्य-योजना कार्यान्वित करने का विचार है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) सरकार देश में लागू विधिक एवं नीतिगत ढांचे के अनुरूप वनों एवं वृक्ष आच्छादन के संरक्षण, सुरक्षा, पुनर्स्थापन तथा संवर्धन को उच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। वन और वृक्षों का बढ़ना एक क्रमिक पारिस्थितिक प्रक्रिया है जो स्थानीय जलवायु और मृदा स्थितियों, प्रजातियों की विशेषताओं, आनुवंशिक क्षमता, वन संवर्धन पद्धतियों, जैविक और अजैविक व्यवधानों से संरक्षण और पौधरोपण की आयु और वृद्धि अवस्था सहित अनेक कारकों से प्रभावित होती है। इन वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापन संबंधी हस्तक्षेपों के परिणाम समय के साथ क्रमिक रूप से परिलक्षित होते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, वर्ष 2021 के पिछले आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आच्छादन में 1445.81 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है।

इसके अलावा, प्राकृतिक वनों का संरक्षण और अवक्रमित वन भूदृश्यों का पुनर्स्थापन सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, कृत्रिम पुनर्जनन, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 के अंतर्गत प्रतिपूरक वनीकरण, हरित भारत मिशन, नगर वन योजना, मिष्टी और अन्य वनीकरण एवं पुनर्स्थापन कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। इन कार्यक्रमों के अनुमोदित परिचालन दिशानिर्देशों में स्थल-विशिष्ट प्रजातियों के चयन, पौधारोपण के रखरखाव, निर्धारित अनुरक्षण अवधि के दौरान संरक्षण उपायों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा समय-समय पर निगरानी का प्रावधान किया गया है।

वनों की अवैध कटाई और अन्य वन अपराधों से सुरक्षा मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागू वन तथा अन्य प्रासंगिक विधियों के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। इसी प्रकार, वृक्षारोपण की उत्तरजीविता की निगरानी संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों और राज्य सरकारों द्वारा योजना कार्यान्वयन और परियोजना निगरानी के हिस्से के रूप में की जाती है। सभी वनीकरण कार्यक्रमों में पौधों की उत्तरजीविता दर का राज्यवार डेटाबेस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय स्तर पर संधारित नहीं किया जाता है।
